कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/पेंशन–अ/विविध/2023 दिनांक :– 05.06.2023

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषय : ऑन लाईन पेंशन प्रकरणों में वेतन स्थिरीकरणों की जांच व अन्तिम वेतन सही होने का विभाग के वरिष्ठ लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र अंकित करने बाबत।

प्रसंग : निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक : पीआर 3/विविध/2023–24/29547 C दिनांक 11.05.2023 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत करवाया गया है कि विद्यालय से प्राप्त ऑन लाईन पेंशन प्रकरणों में लेखाकर्मी का प्रमाण–पत्र संलग्न न होने के कारण प्रकरण बार–बार आक्षेप पूर्ती हेतु लौटाना पड़ता है जिसके कारण पेंशन प्रकरण निस्तारण में विलम्ब होता है । अतः निर्देशित किया जाता है कि ऑन लाईन पेंशन प्रकरणों में वेतन स्थिरीकरणों की जांच व अन्तिम वेतन सही होने का विभाग के वरिष्ठ लेखाकर्मी (कनि.लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी–II/सहायक लेखाधिकारी–I) का प्रमाण पत्र जारी कर अपलोड करने के पश्चात् ही निस्तारण हेतु प्रकरण पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को प्रेषित करवावें ।

संलग्न :– प्रासंगिक पत्र की प्रति ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/पेंशन–अ/विविध/2023 दिनांक :– 05.06.2023

प्रतिलिपी : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मण्डल परिक्षेत्र ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक ।
3. उप निदेशक प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा ।
4. उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर ।
6. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
7. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Dhawan
Designation: Financial Advisor
Date: 2023.06.05 17:45:38 IST
Reason: Approved

Rajasthan Education Department

RajKaj Ref No. : 3973883